

उत्तर प्रदेश शासन  
सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-1  
संख्या- 459334/सत्ताईस-1-2023  
लखनऊ: दिनांक: 29 दिसम्बर, 2023

कार्यालय-आदेश

एतद्वारा तात्कालिक प्रभाव से जनहित/कार्यहित में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के सिविल संवर्ग के निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता स्तर-1 को उनके नाम के सम्मुख कालम-4 में अंकित पद/स्थान पर पदस्थापित/तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	मुख्य अभियन्ता स्तर-1 का नाम (सर्वश्री)	वर्तमान तैनाती/ कार्यभार	नवीन तैनाती
1	2.	3.	4.
1	हर प्रसाद	मुख्य अभियन्ता (कनहर), मिर्जापुर	मुख्य अभियन्ता स्तर-1 (पूर्व), गोरखपुर
2	तारा चन्द्र	मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-4/6), लखनऊ	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (स्वारा), लखनऊ
3	देवकी नन्दन	मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), कानपुर	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (नियोजन), लखनऊ
4	अशोक कुमार सिंह	मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक), लखनऊ	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (मध्य), लखनऊ
5	रमेश चन्द्र	मुख्य अभियन्ता (कार्मिक-1/3), लखनऊ	मुख्य अभियन्ता एवं तकनीकी सलाहकार, (राज्य बाँध सुरक्षा संगठन), लखनऊ
6	कृष्ण कुमार	मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक (वाल्मी), लखनऊ	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (दक्षिण), झांसी
7	गोपाल सिंह	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (दक्षिण), झांसी	मुख्य अभियन्ता स्तर-1, (स्वारा डैक), लखनऊ

2- उक्त अभियन्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक, शासन/प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायें।

सिद्धाशरण पाण्डेय  
संयुक्त सचिव।

पुष्ठांकन संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, मा० मंत्री जी/मा० राज्य मंत्री जी, जल शक्ति विभाग, उ०प्र०।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. समस्त विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन)/प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. सम्बन्धित अभियन्ता द्वारा मुख्य अभियन्ता कार्मिक (अधिष्ठान-1/3), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-5/6
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
Digitally Signed by  
इंद्रजीत सिंह  
Date: 23/05/2023 15:23  
Reason: Approved  
अमु सचिव।